# न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

**पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.**

**राजस्व अपील संख्या : 33/2024 G.C.M.S. No. 2024/122 दर्ज दिनांक : 30.05.2024**

**अपीलार्थिगण:**

1. नरपतकुमार पुत्र गणेशाराम जी उम्र वयस्क
2. ललीतकुमार पुत्र गणेशाराम जी उम्र वयस्क
3. विनोदकुमार पुत्र गणेशाराम जी उम्र वयस्क
4. रविकुमार पुत्र गणेशाराम जी उम्र वयस्क
5. श्रीमती हंजादेवी पत्नी गणेशाराम उम्र वयस्क
   जातिगण माली निवासीगण मालियों का बास सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
6. अंशी पुत्री अनाजी पत्नी श्री सोहनलाल जी उम्र वयस्क जाति माली निवासी सुमेरपुर हाल निवास बिजापुर तहसील बाली जिला पाली।
7. उषाबाई पत्नी बस्तीमल जी उम्र वयस्क जाति माली निवासी सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली।
8. श्रीमती सीमा पुत्री बस्तीमल जी पत्नी उम्मेदमल जी जाति माली निवासी न्यू नेहरू नगर शिवगंज तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
9. जसोदा पुत्री बस्तीमल जी पत्नी मोहनलाल जी उम्र वयस्क जाति माली निवासी न्यू गोकुलवाड़ी शिवगंज तहसील शिवंगज व जिला सिरोही।
10. संतोष पुत्री बस्तीमल उम्र वयस्क जाति माली निवासी सुमेरपुर हाल निवास शाही बाग अहमदाबाद, गुजरात
11. हिम्मतमल पुत्र बस्तीमल जी जाति माली निवासी सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली हाल निवास शाही बाग अहमदाबाद, गुजरात
12. रूपाराम पुत्र अनाजी उम्र वयस्क जाति माली निवासी जुना जाखोड़ा रोड़ सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली।
13. मृत शंकरलाल पुत्र अनाजी के कायम मुकामः–
    - 13/1 अशोक पुत्र शंकरलाल जी उम्र वयस्क
    - 13/2 नन्दा पुत्री शंकरलाल जी उम्र वयस्क
    - 13/3 नेनु पत्नी शंकरलाल जी उम्र वयस्क
    - 13/4 सुखी पुत्री शंकरलाल जी उम्र वयस्क
    - 13/5 सुमित्रा पुत्री शंकरलाल जी उम्र वयस्क
    - 13/6 सुमिता पुत्री शंकरलाल जी उम्र वयस्क

    जातिगण माली निवासीगण नेहरू नगर कॉलोनी सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।

## बनाम

**प्रत्यर्थिगण:**

1. शांतिलाल पुत्र पुनाजी (तथाकथित पुत्र अनाजी) उम्र वयस्क जाति माली निवासी सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 48/2019 बअनवान शांतिलाल बनाम अंशीबाई वगैरह में पारित आदेश दिनांक 08.02.2024**

**उपस्थित–**

1. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, श्री प्रवीण व्यास, श्री शशांक ओझा विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

## निर्णय

**दिनांक: 24.02.2025**

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 48/2019 बअनवान शांतिलाल बनाम अंशीबाई वगैरह में पारित आदेश दिनांक 08.02.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेंट संख्या 2 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा का मय धारा 212 का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया था कि ग्राम सुमेरपुर के खसरा नम्बर 305 रकबा 2.5300 हैक्टेर कृषि भूमि रेस्पोंडेंट संख्या 1 एवं अपीलाण्ट्स के सहखातेदारी की स्थित हैं। उक्त भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या 1 एवं अपीलाण्ट्स काबिज होकर संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है वादग्रस्त भूमि व अन्य खातेदारी भूमि पूर्व में रेस्पोडेंट्स संख्या 1 अपीलाण्ट्स एवं अन्य खातेदारों के संयुक्त स्वामित्व की रही हैं जिसका आपसी सहमति बंटवाड़ा दिनांक 19.1.2019 को किया गया जिस बंटवाड़ा का कार्यालय आदेश तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा दिनांक 5.2.2019 को जरिये कमांक/भू. अ./2019/253 के सभी खातेदारों के बीच किया गया जिस अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 305 रकबा 2.5300 हैक्टेयर भूमि अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 के संयुक्त हिस्से में आयी हैं, वादग्रस्त विवादित भूमि में रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 का 1/20 + 1/20 हिस्सा अर्थात् कुल भूमि का 1/10 हिस्सा एवं अपीलाण्ट्स संख्या 1 से लगायत 5 का प्रत्येक का 1/20 1/20 हिस्सा अर्थात् कुल भूमि में 5/20 हिस्सा, अपीलाण्ट्स संख्या 6 का 1/20 हिस्सा, अपीलाण्ट्स संख्या 7 का 1/20 हिस्सा व अपीलाण्ट्स संख्या 8 का 1/20, अपीलाण्ट्स संख्या 9 का 1/20 हिस्सा, अपीलाण्ट्स संख्या 10 का 1/20 हिस्सा, अपीलाण्ट्स संख्या 11 का 1/20 + 1/20 हिस्सा अर्थात् कुल भूमि का 1/10 हिस्सा, अपीलाण्ट्स संख्या 12 का 1/20 + 1/20 + 1/20 हिस्सा अर्थात् 3/20 वां हिस्सा एवं अपीलाण्ट्स संख्या 13/1 से लगायत 13/6 के पिताजी शंकरलाल जी का 1/20 + 1/20 + 1/20 हिस्सा अर्थात् 3/20 वां हिस्सा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में निहित हैं। उक्त भूमि का मौके पर बाई मिण्ड्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा किया हुआ नही हैं, रेस्पोडेंट्स व अपीलाण्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। उपरोक्त भूमि मे अपीलाण्ट्स अपनी मनमर्जी से कब्जा कर बुआई करने पर उतारू हुए जिस पर रेस्पोडेंट्स संख्या 1 द्वारा मना करने पर अपीलाण्ट्स झगडा टण्टा करने लगे एवं अपीलाण्ट संख्या 12 रूपाराम अपनी मनमर्जी से बिना बंटवाड़ें की भूमि खसरा नम्बर 305 में नींव कुर्सी कर मकान निर्माण करने लगा जिसका विरोध करने पर अपीलाण्ट रूपाराम द्वारा मुझे मारने की धमकी दी गयी उपरोक्त भूमि में पूर्व खातेदारान द्वारा भी फरवरी माह में ही आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया गया हैं बंटवाड़ा से प्राप्त मुझ रेस्पोंडेंट्स व अपीलाण्ट्स की संयुक्त खातेदारी खसरा नम्बर 305 खतौनी संवत् 2074 से 2077 मे दर्ज हुयी हैं जिसमें आज दिन तक मुझ रेस्पोडेंट्स संख्या 1 व अपीलाण्ट्स का संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त चला आ रहा हैं मौके पर मुझ रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 व अपीलाण्ट्स के बीच बंटवाडा नहीं किया हुआ है एवं अपीलाण्ट्स अपनी इच्छा अनुसार सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करने की चेष्ठा रखते हैं एवं उक्त भूमि को बिना विभाजन के बेचाण करने पर आमादा हैं इसलिए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद एवं वाद के साथ में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन भी प्रस्तुत किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स संख्या 1 से 3 व 5 एवं अपीलाण्ट्स संख्या 12 व 13 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउण्टर प्रार्थना पत्र पेश कर अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया की उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में अपीलाण्ट्स का ही कब्जा व काश्त मौके पर भौतिक रूप से स्वर्गीय अनाजी के जीवनकाल से आज दिन तक चला आ रहा हैं। रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 शांतिलाल अनाजी का पुत्र नहीं होकर पुनाजी पुत्र भीकाजी का पुत्र हैं। रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 ने गलत रूप से शांतिलाल पुत्र अनाजी के रूप में नाम दर्ज करवाकर फर्जी तरीके से अपीलाण्ट्स के साथ संयुक्त खातेदार दर्ज हुआ हैं। प्रार्थना पत्र के शीर्षक में शांतिलाल के पिता का नाम अनाजी दर्ज है। जो सरासर गलत है। जबकि वास्तविक स्थिति यह हैं कि अपीलाण्ट्स के पूर्वज अनाजी पुत्र भीकाजी के कुल 4 भाई पुनाजी, इदाजी, अनाजी व पोकर जी थें। पुनाजी व इदाजी के कोई जायन्दा संतान नहीं थीं। जबकि अनाजी के 5 पुत्र शंकरलाल, बस्तीमल, रूपाराम, गणेशमल व शांतिलाल तथा 4 पुत्रियां अंशी, सुगना, कमला व बंसती थीं। पुनाजी व अनाजी के जीवनकाल में अनाजी ने अपने पुत्र शांतिलाल को शांतिलाल की बाल्य अवस्था में यानि करीब 3 वर्ष की अवस्था में पुनाजी पुत्र भीकाजी को सामाजिक रीति रिवाज अनुसार गोद दे दिया था। शांतिलाल को पुनाजी ने गोद प्राप्त किया। शांतिलाल के पुनाजी के गोद जाने के बाद शांतिलाल पुनाजी के साथ ही रहा। उन्होंने ही पढ़ाया व बड़ा किया। स्कूल रेकर्ड में, आधार कार्ड, परिवार कार्ड, वोटर लिस्ट, टेलीफोन बिल आदि में भी शांतिलाल के पिता का नाम पुनाजी दर्ज हैं। पुनाजी पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

भीकाजी के मकान में शांतिलाल रह रहा है, जो आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा में पुनाजी के बंट में आया था। हाल सेटलमेंट संवत् 2037 से 2056 के पूर्व के राजस्व रेकर्ड में अना व पोकर पुत्र भीका कोम माली ही वादग्रस्त भूमि के खातेदार रहें हैं। उसमें रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 के पिता पुना पुत्र भीका का नाम दर्ज नहीं रहा है। हाल खसरा नम्बर 305 के पुराने खसरा नम्बर 84 व 84/1 रहे हैं। सेटलमेंट के पूर्व की जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 की जमाबंदी भी जवाब के साथ पेश की, जिसमें रेस्पोडेंट्स संख्या 1 के पिता पुना पुत्र भीका का नाम दर्ज नहीं हैं। फर्जी व झूठी कार्यवाही के तहत् रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने दौराने हाल सेटलमेंट बिना किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री के बिना किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज के सहायक भू प्रबंधक अधिकारी जोधपुर से मिलावट कर राजस्व रेकर्ड में अना पुत्र भीका के खातेदारों में अपना नाम भी दर्ज करवा दिया एवं फर्जी व झूठे कागजी इन्द्राज के आधार पर बिना कब्जे रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने गलत मुतवीयत बताकर झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। जबकि रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 अनाजी का पुत्र नहीं होकर 60 वर्ष पूर्व पुनाजी के गोद चला गया था, तब से उनकी चल व अचल सम्पति पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। जबकि रेस्पोंडेंट्स का कभी भी वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट्स के साथ संयुक्त कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलाण्ट्स अपनी खातेदारी भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग–उपभोग करने के अधिकारी हैं, रेस्पोडेंट्स संख्या 1 पुनाजी का गोद पुत्र होने से उसे बंटवाड़ें एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करने की अधिकारिता नहीं हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अवलोकन किये बिना जवाब के साथ पेश दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना काउण्टर प्रार्थना पत्र का जवाब लिये बिना जैर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो अपास्त योग्य हैं। अपीलाण्ट्स संख्या 1 एवं 6 से 10 के नोटिस विधिवत तामील नहीं हुए थें। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत तामील करवाये बिना अपीलाण्ट्स 1 व 6 से 10 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर साक्ष्य सबूत सुनवाई का अवसर दिये बिना न्यायिक सिद्धान्तों के विपरित विधि विरूद्ध तरीके से जैर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। वाद व प्रार्थना पत्र लम्बित रहने के दौरान एवं जैर अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व ही अपीलाण्ट्स संख्या 13 शंकरलाल का देहांत हो गया था। जिसकी सूचना मौखिक रूप से अपीलाण्ट्स के वकील ने अधीनस्थ न्यायालय में दे दी थीं। लेकिन रेस्पोडेंट्स संख्या 1 की ओर से कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गयी। अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी में था कि अपीलाण्ट्स संख्या 13 शंकरलाल का देहांत हो गया है, उसके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लाने का आदेश दिये बिना ही जैर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जबकि विधि अनुसार वाद एवं प्रार्थना पत्र लम्बित रहते किसी पक्षकार का देहांत हो जाता है तो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

उसके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लाने की कार्यवाही के आदेश पारित किये जाने चाहिए थें। लेकिन उपरोक्त प्रकरण में कायम मुकाम की कार्यवाही के आदेश पारित नहीं कर विधिविरूद्ध तरीके से जैर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट्स संख्या 2 की तरफ से जवाब पेश किया गया था, जो जवाब रेकर्ड पर था। उसके पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 15.12.2022 में रेस्पोडेंट्स संख्या 2 का जवाब बंद करने का आदेश पारित किया। इससे प्रकट हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तथ्यों का अवलोकन किये बिना जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 शांतिलाल अनाजी का पुत्र नहीं होकर पुनाजी का पुत्र है। रेस्पोडेंट्स संख्या 1 ने फर्जी तरीके से अपीलाण्ट्स के साथ संयुक्त खातेदारी में नाम दर्ज करवाया है। रेस्पोडेंट्स संख्या 1 पुनाजी का गोदी पुत्र है। स्कूल रेकर्ड, आधार कार्ड, परिवार कार्ड, वोटर लिस्ट व टेलीफोन बिल आदि में रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 पिता जी का नाम पुनाजी दर्ज है एवं पुनाजी की चल व अचल सम्पति का रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 उपयोग–उपभोग कर रहा है। वादग्रस्त कृषि भूमि में रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 का कोई हक–हकूक अधिकार नहीं है एवं न ही रेस्पोडेंट्स संख्या 1 का कभी भी कब्जा व काश्त रहा है। बिना कब्जे के अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया है। जो विधि विरूद्ध व न्यायिक सिद्धान्तों के विपरित होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने निम्नलिखित न्यायिक नजीरें प्रस्तुत कीः–

1. 2023 (2) RRT 1068
2. 2018 (1) RRT 569
3. 2016 RRD 546
4. 2022 (2) RRT 810
5. 2019 RRD 494

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अध्ययन–अवलोकन किया एवं प्रकरण के सम्यक न्याय–निर्णयन में यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट शांतिलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की संयुक्त कब्जाकाश्त की खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी के परस्पर कब्जेकाश्त में दखल नहीं करने एवं कोई नवीन निर्माण आदि नहीं करने तथा मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं।

2. अपीलांट्स द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र व काउण्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में अपीलांट्स का ही कब्जाकाश्त है तथा रेस्पोंडेंट संख्या 1 शांतिलाल अनाजी का पुत्र नहीं होकर पुनाजी पुत्र भीकाजी का पुत्र है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने गलत रूप से शांतिलाल पुत्र अनाजी का नाम दर्ज करवाकर फर्जी तरीके से अपीलांट के साथ संयुक्त खातेदार दर्ज हुआ है। अनाजी के पांच पुत्र शंकरलाल, बस्तीमल, रूपाराम, गणेशमल व शांतिलाल तथा चार पुत्रियां अंशी, सुगना, कमला व बसंती थीं। पुनाजी व अनाजी के जीवनकाल में अनाजी ने अपने पुत्र शांतिलाल को बाल्यावस्था में करीब 3 वर्ष की अवस्था में पुनाजी पुत्र भीकाजी को गोद दे दिया था। स्कूल व अन्य समस्त रिकॉर्ड में शांतिलाल के पिता का नाम पुनाजी दर्ज है। पुनाजी पुत्र भीकाजी के मकान में शांतिलाल रह रहा है। जो आपसी पारिवारिक बंटवाड़े में पुनाजी के हिस्से में आया था। हाल सेटलमेंट संवत 2037 से 2056 के पूर्व के राजस्व रेकर्ड में अना व पोकर पुत्र भीका कौम माली दर्ज है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पिता पूना पुत्र भीका का नाम दर्ज नहीं रहा है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने हाल सेटलमेंट में बिना किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री के एवं बिना किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज के सहायक भू–प्रबंध अधिकारी जोधपुर से राजस्व रेकर्ड में अना पुत्र भीका की खातेदारी में अपना नाम दर्ज करवा लिया। जबकि शांतिलाल 60 वर्ष पूर्व ही पुनाजी के गोद चला गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो काबिल अपास्त है। वहीं विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा बहस के दौरान अपीलांट के कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि सेटलमेंट के दौरान ए.एस.ओ. को स्वयं अनाजी एवं अनाजी के पांचों पुत्रों तथा पोकर पुत्र भीकाजी एवं पोकर के पुत्रों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में दोनों पक्षों का 1/2–1/2 हिस्सा होना स्वीकार किया है, जिसमें शांतिलाल भी शामिल है। अतः अपीलांट्स विबंधन के सिद्धांत से आबद्ध है।

3. चूंकि प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है तथा इस स्तर पर मूल वादपत्र के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी व अभिमत अपेक्षित नहीं हैं। लेकिन चूंकि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्रों में तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं यथा प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का विवेचन आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का विवेचन किए बिना केवल यह अंकित करते हुए कि *"हमनें प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अवलोकन किया। पत्रावली के उपलब्ध दस्तावेजों का आद्योपांत अवलोकन किया व अधिवक्ता के कथन पर एवं बहस पर मनन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए तीन बिंदु प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति पर विचार किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि उभयपक्ष विवादग्रस्त आराजी के मूल वाद के निस्तारण तक परस्पर कब्जेकाश्त में दखल नहीं करेंगे तथा ना ही कोई नवीन निर्माण करेंगे। मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं।"* इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने विनिश्चय के कारणों को दर्शित नहीं किया है। यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि तीनों बिंदुओं में से कौन–कौनसे बिंदु किस प्रकार से किस सीमा तक किस/किन पक्षकार/पक्षकारों के पक्ष में साबित/नासाबित होते हैं। अतः अपीलाधीन आदेश एक नॉन–स्पीकिंग आदेश है। जिसका किसी भी दृष्टि से समर्थन व पुष्टि नहीं की जा सकती।

4. यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 स्वयं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार वादग्रस्त आराजी पर पूर्व से ही मकान निर्मित है। जिसमें पक्षकारान निवासरत है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी की वर्तमान मौकास्थिति के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय के पास ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध था। इसके बावजूद मौका स्थिति में परिवर्तन नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई हैं। जो दोषपूर्ण होने से समर्थन व पुष्टियोग्य नहीं हैं।

5. यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में रेस्पोंडेंट संख्या अनाजी की संपत्ति का वारिसान है या नहीं तथा रेस्पोंडेंट संख्या 1 अनाजी का पुत्र है या पूनाजी का ? तथा क्या भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान भू–प्रबंध अधिकारियों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने या समाप्त करने का अधिकार है या नहीं ? तथा यदि बिना किसी वैध अधिकारिता के यदि कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसका क्या प्रभाव होगा आदि महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यमान है। जिनका निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद के निस्तारण के साथ किया जाना अपेक्षित है। अतः रेस्पोंडेंट का यह कथन कि अपीलांट्स विबंधन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

के सिद्धांत से आबद्ध है, हमारे विनम्र मत में इस स्तर पर रेस्पोंडेंट का उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं, तथा विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें हस्तगत प्रकरण में प्रकरण की वस्तुस्थिति भिन्न होने से चस्पा नहीं होती हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक रूप से पुष्टि एवं समर्थन योग्य नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

## आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 48/2019 बअनवान शांतिलाल बनाम अंशीबाई वगैरह में पारित आदेश दिनांक 08.02.2024 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **24.02.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner